M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

Roll No./ अनुक्रमांक | | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या 10
No. of Printed Pages : 10

विधि प्रायोगिक
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
(Law Practical)
Fourth Paper

समय – 1.30 घण्टे
Time Allowed – 1.30 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Please, adhere to the words limit of answer, which is approximately 60 words for Q.No. 1(a)-1(f) & 2(a)-2(f) each. Violation may lead to minus marking.
   प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, जो कि प्रश्न क्रमांक 1(a)-1(f) & 2(a) 2(f) के प्रत्येक उत्तर के लिए लगभग 60 शब्द निर्धारित की गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।
3. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जायेगा ।
4. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 4th Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
   इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल चतुर्थ प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

COURT PROCEDURE

1(a)-Whether a Court has discretion to direct the defence to bear the expenses incurred by a defence witness even in non-bailable case instituted by the State ? Explain with reference to the relevant rule and the case law, if any? 5

क्या न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह राज्य के द्वारा संस्थित अजमानतीय प्रकरण में बचाव पक्ष को बचाव साक्षी का व्यय वहन करने के लिये निर्देशित कर सके ? सुसंगत नियमों एवं न्यायदृष्टांतों, यदि कोई हो तो, के संदर्भ में व्याख्या कीजिए –

1(b)- What is the procedure to be adopted in sessions trials and criminal appeals for forwarding copy of the judgment to the District Magistrate ? Explain with reference to the relevant rule and case law if any ? 5

सत्र प्रकरणों एवं आपराधिक अपीलों में जिला दंडाधिकारी को निर्णय की प्रतिलिपि अग्रेषित करने के लिये क्या प्रकिया अपनाई जानी चाहिए ? सुसंगत नियमों एवं न्यायदृष्टांतों, यदि कोई हो तो, के संदर्भ में व्याख्या कीजिए ।

1(c)-How the receiving officer should examine the plaint to findout its proper presentation ? **5**

प्राप्तकर्ता अधिकारी को वाद पत्र की प्रस्तुती का समाधान करने के लिए कैसे जांच करना चाहिए ?

1(d)-Explain the procedure regarding execution of decree with police help ? **5**

पुलिस सहायता से आज्ञप्ति के निष्पादन की प्रकिया को स्पष्ट करे ?

1(e)- State by what means a inspection fees can be levied from a person and how it shall be paid to the Government ? **5**

बतायें की एक व्यक्ति से निरीक्षण शुल्क किस साधन से उदगृहीत किया जा सकता हे और यह कैसे शासन को संदत्त किया जायेगा ?

1(f)- In what form & how examination of an accused is done during a Criminal Trial. Discuss briefly in the light of Provisions of M.P. Rules & Orders (Criminal). **5**

आपराधिक विचारण के दौरान एक अभियुक्त का परीक्षण किस फार्म में और कैसे किया जाता है, म0 प्र0 रूल्स एण्ड आर्डर (आपराधिक) के प्रावधानों के प्रकाश में संक्षेप में विवेचना करें ।

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES

Following are the cases with citation in which either some legal principle or guidelines have been laid down by the Supreme Court. Point out the same in approximately 60 words. Out of given two options you may choose one ?

निम्नलिखित न्याय दृष्टांतों में कुछ विधि सिद्धांत या मार्गदर्शक सिद्धांत उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं। इन्हें लगभग 60 शब्दों में लिखिए। दिये गये दो विकल्पों में से आप एक चुन सकते हैं–

2(a)	R.C. Chandel Vs. High Court of M.P. AIR 2012 (SC)2962	**or**	D. Velusamy vs. D. Patchaiamma (2010) 10 SCC 469 **5 Marks**
2(b)	Siddharam Satlingappa Mhetre Vs. State of Maharashtra & ors. (2011) 1 SCC 694	**or**	Ramesh Kumar Soni Vs. State of M.P. 2013 Cr. L.J. 1738 (SC) **5 Marks**
2(c)	Ashwani Kumar Saxena vs. State of M.P. (2012) 9 SCC 750	**or**	Sandhya Manoj Wankhade Vs. Manoj Bhimrao Wankhade (2011) 3 SCC 650 **5 Marks**
2(d)	Vilas Pandurang Pawar and another Vs. State of Maharashtra & ors. 2012 AIR SC 3316	**or**	Sivanmoorthy and others Vs. State (2010) 12 SCC 29 **5 Marks**
2(e)	Ashok Kumar Lingala Vs. State of Karnataka & Ors. [AIR 2012 SC 53]	**or**	Ramrameshwari Devi and others Vs. Nirmala Devi and others. 2011 AIR SCW 4000 **5 Marks**
2(f)	K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa (2013) 5 SCC 226	**or**	"United India Insurance co. Ltd. v. Shila Datta" & others AIR 2012 SC 86 **5 Marks**

FRAMING OF ISSUES & CHARGE

3(a) Frame the issues on the basis of the pleadings given here under -
निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये। 10 Marks

वादपत्र के अभिवचन :–

1. कस्बा विदिशा में प्रतिवादी 'क' के भूमिस्वामित्व की भूमि क्र. 1537/2 रकबा 1.369 हे. स्थित है। दि. 13.01.86 को प्रतिवादी 'क' ने वादी 'अ' से अनुबंध किया कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि (अनुबंधित भूमि) 35000/– रु. में दो वर्ष के अंदर विक्रय कर देगा व विक्रयधन प्राप्त कर रजिस्ट्री वादी के हक में संपादित कर देगा। प्रतिवादी ने दि. 13.1.86 को ही 25000/– रु. आंशिक विक्रयधन के रूप में प्राप्त कर भूमि का सांकेतिक कब्जा वादी को दे दिया एवं अनुबंध संपादित कर पंजीयन भी करा दिया।

2. अनुबंध के अनुसार प्रतिवादी 'क' को दिनांक 12.01.88 तक अवशेष विक्रयधन 10,000/–रुपया वादी से प्राप्त कर अनुबंधित भूमि का आधिपत्य वादी 'अ' को देकर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र संपादित करना था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। प्रतिवादी को वादी ने दिनांक 04.01.88 को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस दिया जिसकी तामील प्रतिवादी पर दिनांक 07.01.88 को हो गई किन्तु प्रतिवादी ने न तो नोटिस का उत्तर ही दिया और न ही अनुबंध का पालन किया। वादी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सम्पादित कराने हेतु पूर्व से ही तत्पर रहा है और आज भी तत्पर है किन्तु प्रतिवादी द्वारा अनुबंध का पालन न करने से वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

3. वादी ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित कराने, कब्जा दिलाये जाने एवं कब्जा प्राप्त होने तक दो हजार रुपया प्रतिवर्ष मध्यवर्ती लाभ दिलाये जाने की डिक्री पारित किये जाने की मांग की है।

लिखित कथन के अभिवचन :—

प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि अपने भूमिस्वामित्व की होना स्वीकार किया एवं यह अभिवचन किया कि उक्त भूमि का वास्तव में कोई अनुबंध नहीं हुआ था। प्रतिवादी का अभिवचन है कि प्रतिवादी ने वादी से ऋण लिया था जिसका हिसाब जनवरी 1983 में करके वादी ने 10,000/— रुपये शेष निकाले थे। इस राशि पर 3 प्रतिशत मासिक ब्याज देना तय हुआ था। प्रतिवादी ने दिसम्बर 1985 में 10,000/— रुपये अदा किये थे। वादी ने जनवरी 1986 में पुनः हिसाब करके असल 10,000/— रुपये और ब्याज 10,800/— रुपये निकाले जिनमें से प्रतिवादी ने 6,000/— रुपये मुजरा देकर शेष 14,800/— रुपये बकाया निकाले थे। वादी द्वारा उक्त राशि की माँग करने पर प्रतिवादी ने 3 वर्ष का समय चाहा। इस पर वादी ने 2 वर्ष की ब्याज की राशि 10200/— रुपये और जोड़कर कुल 25,000/— रुपये की अदायगी की सुरक्षा के लिए प्रतिवादी को प्रश्नगत लिखापढ़ी करने के लिये बाध्य किया था। प्रतिवादी ने विवशता के कारण लिखापढ़ी पर हस्ताक्षर किये थे। दिनांक 13.01.86 को न तो प्रतिवादी को कोई धनराशि दी गई और न भूमि के क्रय विक्रय संबंधी कोई अनुबन्ध पक्षकारों के मध्य हुआ। प्रतिवादी वादी को व्यवहारिक धनराशि अदा करने हेतु सदैव तत्पर रहा है लेकिन वह अनुचित ब्याज की मांग पूरी करने को तैयार नहीं हुआ इस कारण वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Plaint averments :-

1. Land bearing survey No.1537/2 area 1.369 hectare is situated in town Vidisha and the defendant is the Bhumiswami of the land. On 13.01.86, the defendant entered into an agreement with plaintiff that he shall sell out this land within 2 years for Rs.35000/- and after getting the sale amount he shall also execute a registered sale deed in favour of plaintiff. On 13.01.86, the defendant also received an amount of Rs.25000/- as partial sale amount/consideration and gave a symbolic possession to the plaintiff. He also got the agreement executed and got registered.

2. According to agreement, the defendant had to receive the remaining sale consideration of Rs.10,000/- from the plaintiff till 12.01.88 and to execute and get the sale deed registered after handing over the possession of land. However, he did not do so. The plaintiff on 04.01.88 sent a registered notice to the defendant which was served on 07.01.88 on him, but the defendant neither gave any reply to it nor performed his part as per the agreement. Plaintiff was always willing and ready and still is ready to perform his part of the agreement but the defendant was not willing hence the plaintiff has filed this suit.

3. Plaintiff has prayed for a decree for specific performance by execution of sale deed alongwith possession and mesne profit @ Rs.2000/- p.a. till possession.

Pleadings of written statement :-

The defendant admitted his bhumiswami right on the suit land and pleaded that there was no agreement regarding the above mentioned land. The defendant has pleaded that he has taken a loan from the plaintiff and in the January, 1983 the plaintiff after accounting had shown Rs.10000/- as the outstanding amount. 3% monthly interest was agreed to be paid on this amount. Defendant had paid Rs. 10000/- in December, 1985. In January, 1986, the plaintiff again showed Rs.10000/- as the principal and Rs. 10800/- as the outstanding interest. Out of this, the defendant had already paid Rs.6000/- and Rs.14800/- were only outstanding. On making a demand by plaintiff, the defendant requested for a time of 3 years and the plaintiff thereon again made a demand of Rs.10200/- towards interest. Thus, a total amount of Rs.25000/- was shown as due and for this defendant was forced to execute the disputed instrument. The defendant had signed the instrument in reluctance on 13.01.86. Neither any amount was given to the defendant nor any agreement for sale between the parties was executed. The defendant has always ready to pay a reasonable amount to the plaintiff for clearing the outstanding dues but the defendant did not conceded to the demand for unjust interest and therefore the plaintiff has filed the present suit which is liable to be dismissed.

3(b) Frame a charge/ charges on the basis of allegations given here under - 10 Marks

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

आरोप विरचित किये जाने हेतु मैटर

(1) अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2011 को चिकित्सक अजयसिंह ने थाना चंदेरी को एक लिखित सूचना इस आशय की भेजी कि 16 वर्षीय एक लड़की माया, निवासी ग्राम वजायन, थाना चन्देरी के द्वारा जहर खाने पर उसके माता–पिता उपचार हेतु दिनांक 04.02.2011 के सुबह 9:15 बजे लाये, जिसे कि प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है, और जिसकी हालत बहुत गंभीर है। उसी दिन माया की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर पुलिस चंदेरी ने धारा 174 द.प्र.सं. के तहत मर्ग सूचना दिनांक 04. 02.2011 के 10:15 बजे मर्ग क्र. 4/11 पर दर्ज कर जाँच में लिया। मर्ग जाँच के दौरान आरक्षी केन्द्र चंदेरी के तत्कालीन ए.एस.आई. ने अस्पताल चंदेरी पहुंचकर मृतिका की लाश के संबंध में लिखापढ़ी कर मृतिका की लाश का पंचायतनामा बनाया। मृतिका की लाश का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु प्रतिवेदन अस्पताल में दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर घटना स्थल का मानचित्र मृतिका के पिता की निशादेही पर तैयार किया एवं मृतिका के पिता द्वारा पेश किये जाने पर एक प्लास्टिक की शीशी जिसमें जहरीला तरल भरा हुआ था, को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। मर्ग जांच के दौरान गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये।

(2) मर्ग जांच में यह तथ्य उद्घाटित हुये कि अभियुक्त यादनारायण आत्मज रामशरण द्वारा मृतिका माया के साथ ग्राम वजायन में आयेदिन छेड़छाड़ की जाती थी और जिससे कि वह गलत काम करना चाहता था। इसकी शिकायत मृतिका के माता–पिता द्वारा अभियुक्त के परिजनों को की गई, लेकिन अभियुक्त मृतिका से गलत संबंध बनाने के प्रयास में उसे बदनाम करने लगा। जिससे प्रताड़ित होकर मृतिका के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। डॉक्टर द्वारा मृतिका के आंतरिक अंगों को संरक्षित कर एफ.एस.एल. भिजवाया गया एवं मृत्यु की अवधि परीक्षण के 1 घंटे से 3 घंटे पूर्व के अंतराल में होना बताया। एफ. एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार मृतिका के आंतरिक अंगों में कीटनाशक पदार्थ पाया गया। मर्ग जाँच प्रतिवेदन उक्त सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा थाने में दिया गया, जिस पर से आरक्षी केन्द्र चंदेरी ने दिनांक 10.02.2011 को अपराध क्र. 79/2011 पर असल अपराध की कायमी कर मामला अन्वेषण में लिया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। साक्षियों के कथन से यह भी पाया गया कि दिनांक 04.02.2011 को सुबह अभियुक्त ने मृतिका को रास्ते में रोका और उसकी और अधिक बदनामी करने का भय दिखाया। अन्वेषण पूर्ण होने पर चालान प्रस्तुत किया गया।

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

(1) Prosecution case is that on 04.02.2011 Dr. Ajaysingh sent a memo to PS Chanderi to the effect that at about 9:15 AM a girl Maya, R/o Village Vajayan, aged 16 years after consuming poison, was brought by her parents and she has been admitted in the hospital in serious condition. On the same day Maya died during treatment and Police Chanderi registered Merg No.4/11 under the merg intimation dated 04.02.2011 under Section 174 Cr.P.C. During inquest the then ASI Chanderi visited the Hospital and prepared the inquest Panchnama of the dead body. A request for postmortem was also submitted to the hospital. Police after visiting the place of incident prepared a spot map as per the statement of father of deceased and also seized a plastic bottle containing the poisionous liquid in presence of witnesses vide a seizure memo. Statement of witnesses during inquest were also recorded.

(2) In inquest it was disclosed that the accused Yadnarayan S/o Ramsharan used to harass the deceased Maya in Village Vajayan in order to make illicit relationship with her. On reporting of matter by Maya to her parents the accused started to defame her and on being harassed in this manner the deceased Maya has committed suicide by consuming poison. Doctor who performed the postmortem also preserved the internal organs of the deceased and got it sent to F.S.L. He described the duration of death within 1 to 3 hours. As per F.S.L. report an insecticide was found in the internal organs of the deceased. On submitting the

merg report a crime No.79/2011 was registered in PS Chanderi on 10.02.2011 and the investigation in the case was started. Statements of the witnesses were recorded. From the statements of witnesses it was also found that on 04.02.2011 in the morning, accused had obstructed the deceased when she was on way and had threatened her to defame more and more. After investigation the Challan was filed.

PREPARATION OF HEAD NOTE

4 Read the following judgment and prepare two head notes.

निम्नलिखित निर्णय को पढ़िये और दो हेडनोट/शीर्ष टिप्पण बनाईये । - 20 Marks

Judgment :- Heard learned counsel for the parties.

2. This appeal has been filed against the impugned judgment of the High Court of Madhya Pradesh dated 23.08.2002 passed in First appeal No. 224 of 1997.

3. The appellant is the landlord of the premises in question and the respondent is a tenant therein. The appellant filed a suit for eviction against the tenant on two grounds (i) default in payment of rent ; (ii) bona fide need.

4. As regards the first point, the High Court has recorded a finding of fact that the entire rent has been deposited by the tenant in compliance with the order of the High Court passed in a revision petition and hence we cannot interfere with the finding of the High Court on that point.

5. Shri S.K. Jain, learned counsel for the appellant submitted that even if the tenant has paid the rent up to the proceedings in the High Court, if he has committed default in payment of rent after the judgment of the High court and during the pendency of the special leave petition/appeal under article 136 of the Constitution of India before this Court, the provisions of Section 13(6) of the Madhya Pradesh Accommodation control Act, 1961 (for short 'the Act') will apply and the defence of the tenant will have to be struck off. We do not agree. In our opinion, the provisions of Section 13(6) of the Act will apply only to the statutory appeals under the Act and not to the constitutional remedy under Article 136 of the Constitution.

6. It is well settled that a statutory provision cannot control a constitutional provision, An appeal is a creature of the statute and the conditions mentioned in Section 13(6) of the Act will apply to the statutory appeal and not to the constitutional remedy. That is because a constitutional provision is on a higher pedestal as compared to a statutory provision. A statute cannot control the constitutional provisions. Hence, we reject the first submission of Shri S.K. Jain.

7. However, as regards the question of bona fide need, we find that the main ground for rejecting the landlord's petition for eviction was that in the petition the landlord had alleged that he required the premises for his son Giriraj who wanted to do footwear business in the premises in question. The High Court has held that since Giriraj has no experience in the footwear business and was only helping his father in the cloth business, hence there was no bona fide need. We are of the opinion that a person can start a new business even if he has no experience in the new business. That does not mean that his claim for starting the new business must be rejected on the ground that it is a false claim. Many people start new business even if they do not have experience in the new business, and sometimes they are successful in the new business also.

8. Hence, we are of the opinion that the High Court should have gone deeper into the question of bona fide need and not rejected it only on the ground that Giriraj has no experience in footwear business.

9. For the reasons given above, we set aside the impugned judgments, of the High Court and the trial Court on the question of bona fide need and remand the matter to the trial Court only to decide the issue of bona fide need afresh. Parties may lead fresh evidence on their pleadings and the trial court shall decide the matter expeditiously thereafter.

10. The Appeal is allowed on the question of bona fide need only to the extent indicated above. No costs.
Appeal allowed.

निर्णय :–विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया ।

2. यह अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 242/1997 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

3. अपीलार्थी प्रश्नाधीन स्थान का भवन स्वामी है एवं प्रत्यर्थी उसमें किरायेदार है । अपीलार्थी के द्वारा किरायेदार के विरूद्ध निष्कासन हेतु वाद निम्नलिखित दो आधारों पर प्रस्तुत किया गया था ।

1. किराये की अदायगी में व्यतिक्रम ।
2. सद्भावनापूर्ण आवश्यकता

4. जहां तक प्रथम बिन्दु का संबंध है, उच्च न्यायालय के द्वारा तथ्य का यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि किरायेदार ने उच्च न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में समस्त किराया जमा कर दिया है, अत्एव हम उस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ।

5. अपीलार्थी के विद्ववान अधिवक्ता श्री एस0के0 जैन के द्वारा यह निवेदन किया गया की यदि किरायेदार के द्वारा उच्च न्यायालय तक की कार्यवाही में किराया अदा कर दिया गया हो, तो भी यदि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत किराया अदा करने में व्यतिक्रम किया गया हो एवं इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका/भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लंबन के दौरान किराये की अदायगी में व्यतिक्रम किया गया हो, तो मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (संक्षेप हेतु ''अधिनियम'') की धारा 13 (6) का प्रावधान लागू होगा एवं किरायेदार का बचाव निरस्त किया जाना होगा । हम सहमत नहीं है । हमारे मत में अधिनियम की धारा 13(6) का प्रावधान केवल अधिनियम के अंतर्गत कानूनी अपीलों पर ही लागू होगा एवं संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार पर लागू नहीं होगा ।

6. यह सुस्थापित है कि एक कानूनी प्रावधान किसी संवैधानिक प्रावधान को नियंत्रित नहीं कर सकता है । अपील कानून की उत्पत्ती है एवं अधिनियम की धारा 13(6) में दर्शाई गई शर्तें कानूनी अपील पर ही लागू होंगी, संवैधानिक उपचार पर नहीं । ऐसा इसलिये है कि संवैधानिक उपचार का स्थान कानूनी प्रावधान की तुलना में अधिक उंचा होता है, अतः हम श्री एस0के0 जैन के प्रथम निवेदन को निरस्त करते हैं ।

7. हालांकि जहां तक सद्भावनापूर्ण आवश्यकता का प्रश्न है, हम यह पाते हैं कि भवन स्वामी की याचिका को निरस्त करने का मुख्य आधार यह था कि याचिका में भवन स्वामी के द्वारा यह आरोपित किया गया था कि उसे स्थान की आवश्यकता अपने पुत्र के लिये थी, जो की प्रश्नाधीन स्थान में जूतों का धंधा करना चाहता था । उच्च न्यायालय के द्वारा यह धारित किया गया था कि चूंकि, गिरीराज को जूतों के धंधे का कोई अनुभव नहीं था एवं वह केवल अपने पिता के कपड़े के धंधें में उनकी मदद करता था, अतः कोई सद्भावनापूर्ण आवश्यकता नहीं थी । हम इस मत के हैं की कोई व्यक्ति नया धंधा प्रारंभ कर सकता है, भले ही उसे नये धंधे का कोई अनुभव न हो । इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का नया धंधा प्रारंभ करने का दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए की यह एक मिथ्या दावा है । अनेक व्यक्ति नये धंधे का अनुभव न होते हुये भी नया धंधा प्रारंभ करते हैं एवं कुछ अवसरों पर वे नये धंधें में सफल भी होते हैं ।

8. अतः हम इस मत के हैं कि उच्च न्यायालय को सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के प्रश्न में अधिक गहरे तक उतरना चाहिये था एवं उसे मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं करना चाहिये था कि गिरीराज को जूतों के धंधे का कोई अनुभव नहीं है ।

9. उपर दिये गये कारणों के आधार पर हम सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय को अपास्त करते है एवं केवल सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के वाद विषय को पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं । पक्षकार अपने अभिकथनों पर नई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे एवं तद्उपरांत विचारण न्यायालय प्रकरण का त्वरित निराकरण करेगा ।

10. केवल सदभावनापूर्ण आवश्यकता के प्रश्न पर उपर अंकित की गई सीमा तक यह अपील स्वीकार की जाती है । परिव्यय पर कोई आदेश नहीं होगा ।

अपील स्वीकृत ।

*****